



Mauliya Pradesh Paschim Kshetra Vidhyut Vidan CO Ltd.

**GPH Compound, Pologround
Indore, Pin - 452003**



रजिस्टर्ड कार्यालय :- उर्जा परिसर जी.पी.एच.केम्पस पोलोग्राउण्ड इन्दौर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश सरकार का उपक्रम

कार्यालय :- कार्यपालन यंत्री एस.टी.एम. संचारण/संधारण संभाग मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर

Email Id-<http://www.mpwz.co.in/eestmonm@yahoo.com> Tele -07312420630

निविदा क्रमांक :- 688 / का.पा.य./एस.टी.एम./सं.सं.स./कृय/2026-27/ इन्दौर दिनांक :- 28/04/26

सामग्री की आपूर्ति/उपकरणों की मरम्मत हेतु म.प्र.प.क्षे.वि.क.लिमी. इन्दौर वेस्ट डिस्कॉम में पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री की आपूर्ति/उपकरणों की मरम्मत कार्य करने हेतु प्रस्ताव (कोटेशन) आमंत्रित करने की सूचना।

प्रति

कम्पनी पोर्टल (www.mpwz.co.in) एवं कार्यालय सूचना पटल

विषय :- संचा./संधा. संभाग महु अंतर्गत आने वाले 10 कि.वॉ. एवं 10 कि.वॉ. से अधिक भार वाले एल.टी. हाई. वैल्यू उपभोक्ताओं की प्रतिमाह एम.आर.आई. कार्य करने हेतु आवश्यक एम-2 लाईसेंस (आवश्यक उपकरण सहित) की आपूर्ति करने हेतु निविदा जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचित करने में आता है, की विषयांतर्गत कार्य हेतु निविदा जारी कि जा रही हैं। उक्त संबंध में इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपना - अपना प्रस्ताव (कोटेशन) अपेक्षित बयाना राशि (ई.एम.डी.) आवश्यकतानुसार के साथ भौतिक रूप से इस कार्यालय में दिनांक :- 08/05/2026 को दोपहर 03 बजे तक प्रस्तुत/प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (कोटेशन) को उसी दिनांक को कार्यालय प्रमुख या उनके पद के समकक्ष पदधारित अधिकारी एवं प्रस्तावक या प्रस्तावक के प्रतिनिधी के समक्ष अपराह 03:30 बजे खोले जाएंगे।

आपूर्ति / मरम्मत की जाने वाली सामग्री/उपकरण का विवरण एवं संख्या निम्नानुसार हैं।

सं.क्र.	विवरण	संख्या (अनुमानित)
1	10 कि.वॉ. एवं 10 कि.वॉ. से अधिक भार वाले एल.टी. हाई. वैल्यू उपभोक्ताओं की प्रतिमाह एम.आर.आई. कार्य करने हेतु आवश्यक एम-2 लाईसेंस (आवश्यक उपकरण सहित) 1 :- प्रति यूजर 01 नंबर ओ.टी.जी. केबल (बी./सी.टाईप) आवश्यकतानुसार। 2 :- प्रति यूजर 01 नंबर युनिवर्सल आप्टीक्ल पोर्ट यु.एस.बी. - ए टाईप। 3 :- प्रति यूजर 01 नंबर आ.जे. 11 टू आर.एस. 232 (यु.एस.बी. - ए टाईप) 4 :- प्रति यूजर 01 नंबर आर.एस. 232 फिमेल पाईण्ट टू (यु.एस.बी. - ए टाईप)	07 नंबर यूजर हेतु

नोट

- 1 :- आपका प्रस्ताव (कोटेशन) नीचे वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुसार होना अनिवार्य हैं।
- 2 :- उक्त निविदा वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त अनुमोदन पर आधारित हैं।
- 3 :- उक्त एम-2 लाईसेंस की उपयोग पुस्तिका बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी।
- 4 :- उक्त एम-2 लाईसेंस के समस्त मेंटेनेंस की राशि का वहन आपूर्तिकर्ता के द्वारा किया जावेगा।
- 5 :- उक्त एम-2 लाईसेंस द्वारा निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से संग्रहित करना है। जैसे :- मीटर नेम प्लेट/प्रोगामेबल पेरामीटर/सिगनल एक्शन शोडयूल/मीटर प्रोफाईल/बिलिंग प्रोफाईल/डेली लोड प्रोफाईल/ब्लॉक लोड प्रोफाईल/टेम्पर प्रोफाईल/इवेंटस इत्यादी।
- 6 :- उक्त डाटा को आवश्यकतानुसार कार्यालय की स्टेटिक आई.पी. पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराना होगा।
- 7 :- उक्त एम-2 लाईसेंस का प्रतिदिन 24 घण्टे कार्यरत होना अनिवार्य होगा।
- 8 :- उक्त एम-2 लाईसेंस के उपयोगकर्ता का समय समय पर संसोधन आपूर्तिकर्ता द्वारा ही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जावेगा।
- 9 :- उक्त एम. - 2 लाईसेंस को एण्ड्रायड एवं आई.ओ.एस. वर्जन में कार्य करना अनिवार्य।
- 10 :- उक्त एम - 2 लाईसेंस का उपभोक्ताओं के परिसर पर स्थापित विभिन्न प्रकार के डी.एल.एम.एस. श्रेणी के मीटर मेक सिक्वोर/जीनस/एल.एण्ड टी./एच.पी.एल./इत्यादि पर कार्य करना अनिवार्य।
- 11 :- एम - 2 लाईसेंस के साथ उपर वर्णित कुल संख्या 04 नंबर सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य हैं।

क्रमशः..... पृष्ठ क्रमांक 02



**GPH Compound, Pologround
Indore, Pin - 452003**



रजिस्टर्ड कार्यालय :- उर्जा परिसर जी.पी.एच.कैम्पस पोलोग्राउण्ड इन्दौर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश सरकार का उपक्रम

कार्यालय :- कार्यपालन यंत्रि एस.टी.एम. संचारण/संधारण संभाग मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर

Email Id-<http://www.mpwz.co.in/> ceestmonm@yahoo.com Tele -07312420630

पृष्ठ क्रमांक 02

नियम एवं शर्त

- 1 **पात्रता :-** विषयान्तगत सामग्री की आपूर्ति / उपकरण के मरम्मत कार्य हेतु प्रस्तावक फर्म / व्यक्ति का म.प्र.प.क्षे.वि. वि.क.लिमी.इन्दौर के साथ पंजीकृत होना (निविदा जारी करने की तिथि पर पंजीयन का वैध होना) अनिवार्य है। केवल पंजीकृत फर्म / व्यक्ति ही इस निविदा में भाग ले सकते हैं।
- 2 **प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण :-**
 - 1 :- प्रेषित किया जाने वाले प्रस्ताव (कोटेशन) के लिफाफे के उपर निविदा जारीकर्ता कार्यालय के नाम / निविदा क्रमांक / निविदा की अंतिम तिथि / अपनी फर्म का नाम / फर्म का पंजीयन क्रमांक एवं उसकी वैधता की अंतिम तिथि का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।
 - 2 :- निर्धारित अंतिम तिथि को कार्यालय के कोटेशन बाक्स में भौतिक रूप पाए गए प्राप्त प्रस्ताव (कोटेशन) को ही स्वीकार किया जावेगा। ई-मेल या अन्य किसी माध्यम से प्रस्ताव (कोटेशन) प्राप्त नहीं किए जावेंगे।
 - 3 :- ऐसा प्रस्ताव (कोटेशन) जिस पर किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग (काटा पिटी) या निविदा जारीकर्ता कार्यालय के नाम / निविदा क्रमांक / निविदा की अंतिम तिथि / अपनी फर्म का नाम / फर्म का पंजीयन क्रमांक एवं उसकी वैधता की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं होने पर उक्त प्रस्ताव (कोटेशन) लिफाफे को नहीं खोला जावेगा। एवं 'ना ही उक्त संबंध में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ती स्वीकार कि जावेगी।
- 3 **आवश्यक दस्तावेज :-** प्रस्ताव (कोटेशन) के लिफाफे में निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
- 4 **दर :-** प्रस्तुत / प्रेषित किए गए प्रस्ताव में प्रस्ताव राशि (मूल राशि) में सभी प्रकार के मद जैसे मूल राशि + ढुलाई शुल्क + परिवहन शुल्क + उक्त सामग्री के विरुद्ध भारत सरकार या म.प्र. शासन द्वारा प्रस्तावित कर + अन्य शुल्क जो की वर्णित नहीं हैं। के योग को मूल राशि में जोड़कर प्रस्तुत किया जावेगा उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क मान्य नहीं किया जावेगा।
- 5 **कर :-** म.प्र.प.क्षे.वि.क.लिमी. इन्दौर क्षेत्रान्तगत लागू वस्तु एवं कर (जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी.) का प्रतिशत जैसे :- 5 प्रतिशत / 12 प्रतिशत / 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
- 6 **संख्या :-** जारी कि गई निविदा में विषयान्तगत आपूर्ति / मरम्मत हेतु प्रस्तावित सामग्री / उपकरण की संख्या अनुमानित है, जिसे की सक्षम अनुमोदन पश्चात आवश्यकतानुसार घटाया / बड़ाया जा सकता है। जो की प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा।
- 7 **समयावधि :-** माह जुलाई 2024 से अथवा वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त अनुमोदन पर आधारित होगा।
- 8 **वैधता :-** प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव (कोटेशन) में वर्णित दर का आगामी 90 दिवस तक वैध होना अनिवार्य होगा।
- 9 **जुर्माना राशि (पेनल्टी) :-** आपूर्ति / मरम्मत कि जाने वाली सामग्री को कृत्यादेश में वर्णित निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विलम्ब तिथि से सामग्री उपलब्ध कराने की दिनांक तक मूल राशि (कर पूर्व राशि) पर प्रति सप्ताह 1/2 प्रतिशत की दर से जुर्माना (पेनल्टी) की गणना कि जाएगी। जो की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।
- 10 **दोषपूर्ण आपूर्ति :-** यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति / मरम्मत कि गई सामग्री / उपकरण में रसीद (पावती दिनांक) से 12 माह के भीतर उसके भौतिक रूप / कारीगरी / निर्धारित क्षमता से कम प्रदर्शन के आधार पर दोष निकलता है, तो उक्त सामग्री / उपकरण को आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के खराब सामग्री के स्थान पर नई सामग्री उपलब्ध कराने हेतु / खराब उपकरण को पूनः मरम्मत कार्य आपूर्तिकर्ता पर बाध्यकारी होगा।
- 11 **कृत्यादेश विस्तार :-** जारी किए गए कृत्यादेश में वर्णित संख्या का कुल 50 प्रतिशत मात्रा एवं पूर्वतः नियम एवं शर्तानुसार का कृत्यादेश विस्तार कृत्यादेश जारी दिनांक से 06 माह के भीतर जारी किया जा सकता है। जो की आपूर्तिकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

क्रमशः..... पृष्ठ क्रमांक 03



रजिस्टर्ड कार्यालय :- उर्जा परिसर जी.पी.एच.कैम्पस पोलोग्राउण्ड इन्दौर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश सरकार का उपक्रम

कार्यालय :- कार्यपालन यंत्री एस.टी.एम. संचारण/संधारण संभाग मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर

Email Id-<http://www.mpwz.co.in/> eestmonm@yahoo.com Tele -07312420630

पृष्ठ क्रमांक 03

- 12 बिक्री कर :- यदि आपूर्तिक्ता बिक्री कर विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो उक्त स्थिति में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमी.इन्दौर द्वारा जारी निर्देशानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कि जावेगी जो की आपूर्तिक्ता पर बाध्यकारी होगी।
- 13 बयाना राशि (ई.एम.डी.) :-
 - 1 कृयादेश की राशि रु 100000/- (राशि रु एक लाख) से अधिक होने की स्थिति में प्रस्तावको को सम्पूर्ण प्रकरण की पूरी मात्रा का 1 प्रतिशत बयाना राशि (ई.एम.डी.) किसी भी भारतीय राष्ट्रियकृत बैंक में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमी. इन्दौर के नाम से जमा कराना अनिवार्य होगा तथा उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट को मूलतः प्रस्ताव (कोटेशन) के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - 2 कृयादेश की राशि रु 100000/- (राशि रु एक लाख) से कम होने की स्थिति में बयाना राशि (ई.एम.डी.) राशि रु 0.00/- (राशि रु शून्य) होगी।
 - 3 बयाना राशि (ई.एम.डी.) के अभाव में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमी.इन्दौर द्वारा निर्धारित सहायक दस्तावेज (एम.एस.एम. ई.) प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब प्रस्तावक फर्म निविदा में वर्णित सामग्री की निर्माता हो।
 - 4 यदि एल-1 प्रस्तावक निविदा खुलने के पश्चात अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उक्त स्थिति में उक्त फर्म की बयाना राशि (ई.एम.डी.) को जब्त कर लिया जावेगा।
 - 5 निविदा खुलने के पश्चात असफल प्रस्तावको के आवेदन पश्चात तथा एल-1 प्रस्तावक फर्म को सुरक्षा राशि जमा पश्चात उक्त बयाना राशि को लौटा दिया जावेगा।
 - 6 बयाना राशि (ई.एम.डी.) पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ब्याज या राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
 - 7 निविदा खुलने पर यदि किसी भी बयाना राशि (ई.एम.डी.) के डिमाण्ड ड्राफ्ट में किसी भी प्रकार की त्रुटि (ओवर राईटिंग) होने के स्थिति में उक्त प्रस्ताव को स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 14 सुरक्षा राशि (एस.डी.) :- कृयादेश की राशि रु 100000/- (राशि रु एक लाख) से अधिक होने की स्थिति में आपूर्तिक्ता को कुल राशि का 10 प्रतिशत राशि को नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र. प.क्षे.वि.वि.क.लिमी. इन्दौर के नाम से जमा कराना अनिवार्य होगा तथा उक्त का प्रमाण कृयादेश जारीकर्ता कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा के प्रमाण के अभाव में उक्त देयक में से सुरक्षा राशि का कटौत किया जावेगा जो की जो की आपूर्तिक्ता पर बाध्यकारी होगा। तथा उक्त सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ब्याज या राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 15 भुगतान एवं देयक प्रस्तुतिकरण :- म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमी. इन्दौर द्वारा निर्धारित कृय प्रणाली अथवा कृयादेश में वर्णित शर्तानुसार।
- 16 प्रतिबंध संबंधी कार्यवाही :- कृयादेश में वर्णित शर्तों का आपूर्तिक्ता द्वारा पालन नहीं करने की स्थिति में निम्नलिखित प्रतिबंधतामक कार्यवाही प्रस्तुत कि जावेगी। (विवरण निम्नानुसार)
 - 1 उक्त फर्म/व्यक्ति का म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमी.इन्दौर के साथ पंजीयन को निरस्त करना।
 - 2 उक्त फर्म/व्यक्ति का म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमी.इन्दौर क्षेत्रांतगत समस्त देयको को भुगतान से रोकना।
 - 3 उक्त फर्म/व्यक्ति का म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमी.इन्दौर क्षेत्रांतगत बंधक समस्त राशि (बयाना राशि/सुरक्षा राशि/बैंक सुरक्षा राशि) को जब्त करना।
 - 4 उक्त फर्म/व्यक्ति को म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमी.इन्दौर क्षेत्रांतगत आगामी 03 वर्ष तक किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित करना।
- 17 निविदा निरस्त :- निविदा जारीकर्ता कार्यालय एवं वरिष्ठ कार्यालय के पास जारी कि गई निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार रहेगा। जो की समस्त प्रस्तावको पर बाध्यकारी होगा।

कार्यपालन यंत्री

एस.टी.एम. संचा./संधा. संभाग
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लिमी. इन्दौर